झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रॉंची,दिनांक–14.07.2020

मुख्यमंत्री सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति- 594/2020
14 जुलाई 2020
झारखंड मंत्रालय, रांची

====================

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दर्ज परिवाद पत्र के आलोक में धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाला की जांच के लिए पी०ई० दर्ज करने की अनुमति दी है। ज्ञातव्य है कि परिवादी के द्वारा दर्ज परिवाद पत्र के आलोक में धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राक्कलन घोटालों की जांच हेतु गठित आंतरिक जांच समिति की जांच प्रतिवेदन में इस अनियमितता के लिए मुख्य आरोपी महापौर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, धनबाद को बनाया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं प्रशासी विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राक्कलन घोटाला कि प्रारंभिक जांच विभागीय संकल्प संख्या-1623 दिनांक-07-08-2015 की कंडिका-21 (1) एवं (2) में निहित प्रावधान के अनुसार मुख्यमंत्री ने पी०ई० दर्ज कर जांच की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रदान किए जाने की अनुमति दी है।

###

==================

#Team PRD (CMO)